माननीय न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल के समक्ष

अभय योगराज-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

Crl. M, No. 22515/M of 2002 5th March, 2004

कीटनाशक अधिनियम, 1968 – धारा 3 (के) (i), 29 (1) और 33 (1),दण्ड प्रक्रिया, 1973-धारा 482-कीटनाशक का नमूना पाया गलत ब्रांड का प्राप्त हुआ। विनिर्माण कंपनी के खिलाफ शिकायत , उसके व्यवसाय प्रबंधक और निदेशक - कंपनी के निदेशक कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं,और केवल कंपनी के निदेशक होने के कारण उन्हें आरोपी बनाया गया है - निदेशक के खिलाफ यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है। कि वह कंपनी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति थे या व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी या कथित अपराध उसकी माननीय न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल के समक्ष

जानकारी, सहमति, मिलीभगत या उसकी ओर से किसी लापरवाही से किया गया था - याचिकाकर्ता को धारा 33(1) और (2) प्रावधानों से जोड़ने वाली किसी भी सामग्री के अभाव में मुकदमे का सामना करने के लिए उसे बुलाना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है - याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत और परिणामी कार्यवाही रद्द की जा सकती है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता को कंपनी के निदेशक रूप में होने के करण एक आरोपी के रूप में पेश किया गया है। इसलिए कि वह आरोपी कंपनी के एक संबंधित समय पर निदेशक रहे ,उनके खिलाफ आरोपी कंपनी द्वारा किए गए कथित अपराध की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । जब तक की अभियोजन पक्ष का मामला ना हो कि वह व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेवार व्यक्ति है या कथित अपराध उसकी जानकारी ,सहमति, मिलीभगत या उसकी तरफ से कोई लापरवाही के तहत किया गया है। यह प्रतिवादी का मामला नहीं है कथन शिकायत में या न्यायालय के समक्ष-केवल शिकायत में एक अस्पष्ट कथन के आधार पर कि आरोपी नंबर 1 और याचिकाकर्ता ने धारा 17 (एल) (ए) और (ग)का उल्लंघन किया , हरियाणा के कृषि मंत्रालय का यह कथन है। की वे अपने आचरण के लिए याचिकाकर्ता को आरोपी कंपनी के व्यवसाय की जांच के लिए तलब नहीं किया जा सकता दस्तावेजों से यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि याचिकाकर्ता आरोपी कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था, और केवल आरोपी

नंबर 1 जिम्मेदार व्यक्ति था। निर्धारित प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई सामग्री प्राप्त नहीं है । इस अधिनियम की धारा 33 के तहत अभियोजन शुरू करने की मंजूरी नहीं दे सकता है । शिकायत में दर्ज किए गए कथन प्रथम दृष्टि से याचिकाकर्ता को कथित तोर पर तलब करने के लिए प्राप्त नहीं थे कथित अपराध की शिकायत पर संज्ञान लेने और किसी आरोपी को समन जारी करने से पहले ट्रायल कोर्ट का शिकायत की सामग्री एवं दिए गए दस्तावेज पर अपना दिमाग लगाना आवश्यक है

(पैरा 11)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि कोई समन किया गया आरोपी आवेदन दायर करता है एवं इसमें दिए गए कथनोंक के निर्वहन के लिए शिकायत के साथ-साथ दिए गए दस्तावेज से , प्रथम दृष्टया से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उसने अपराध किया है, फिर न्यायालय उस स्तर पर समन आदेश को फिर से बुलाया जा सकता है और आरोपी को आरोप मुक्त किया जा सकता है। प्राप्त मामले में याचिकाकर्ता को नहीं कहा जा सकता था कि वह अभियुक्त की कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है एवं याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (1) और (2) से जोड़ने वाली किसी भी सामग्री के अभाव में मुकदमे का सामना करने के लिए समन करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

(पैरा 13)

आर.एस. चीमा, वरिष्ठ अधिवक्ता पवन गिरधर, एडवोकेट,याचिकाकर्ता के लिए।

सुनील के. वशिष्ठ, एएजी, हरियाणा, प्रतिवादी की ओर से।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल

1. याचिकाकर्ता, जो मेसर्स वेंटेक इंडस्ट्री लिमिटेड.. खाजीपल्ली (वी) जिन्नाराम मंडल मेडक (एपी) (इसके बाद आरोपी कंपनी के रूप में संदर्भित) में सिर्फ एक निदेशक था, ने 30 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की है। , 2001 (अनुलग्नक पी-2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरसा द्वारा पारित किया गया, जिसमें समन आदेश को वापस लेने और उसे मुक्त करने के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया और सत्र न्यायाधीश, सिरसा द्वारा दिनांक 3 अप्रैल, 2002 (अनुलग्नक पी-1) पारित किया गया।उपरोक्त आदेश की पुष्टि करते हुए। याचिकाकर्ता ने कीटनाशक अधिनियम, 1968 (इसके बाद

अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 29 (1) के तहत शिकायत में उसके खिलाफ जारी कार्यवाही और ट्रायल कोर्ट में लंबित अन्य परिणामी कार्यवाही को रद्द करने की भी मांग की है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि एक शिकायत (अनुलग्नक पी -3) अधिनियम की धारा 29 (1) के तहत कीटनाशक निरीक्षक द्वारा दायर कि गई थी , सिरसा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विनिर्माण आरोपी कंपनी के खिलाफ अधिनियम की धारा 3 (के) (आई) के उल्लंघन के तहत, आरोपी कंपनी के व्यवसाय प्रबंधक, अर्थात् एम.एस. चंद्रशेखर और याचिकाकर्ता, जो सिर्फ एक निदेशक थे शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 26 सितम्बर, 2000 को , मोनोक्रोफॉस 36% एसएल का एक नमूना बैच नंबर 001 एमएफजी ,जो निर्मित दिनांक जून, 2000 , एवं इसकी समाप्ति तिथि मई, 2004 थी । जो मैसर्स बियानी के व्यावसायिक परिसर से कीटनाशक निरीक्षक द्वारा चम्बल का महाभंडार, जनता भवन रोड, सिरसा, जो वरिष्ठ विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट के माध्यम से 25 अक्तूबर, 2000 को 'गलत ब्रांडेड' का पाया गया उक्त नमूने में, 'गामा इसोमार' की सामग्री 36% के मुकाबले 33.79% पाया गया। हालांकि स्वीकार्य सहिष्णुता भिन्नता की सीमा प्लस और माइनस 5% थी। हालांकि, उक्त नमूना, वरिष्ठ विश्लेषक की राय में, 'गलत ब्रांडेड' था।

3. उक्त शिकायत का संज्ञान प्रमुख न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरसा द्वारा लिया गया था । जब समन जारी किया गया था याचिकाकर्ता सहित याचिकाकर्ता को, वह अदालत में पेश हुआ और 16 फरवरी 2000 के आदेश को फिर से बुलाने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें मुख्य रूप से तीन आधारों पर प्रक्रिया जारी की गई। पहला कि याचिकाकर्ता सिर्फ आरोपी कंपनी का निदेशक था। वह आरोपी कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं था और न ही वह व्यवसाय के दिन-प्रतिदिन के संचालन में शामिल था और ना ही उक्त कंपनी का कामकाज में। आगे यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता दिल्ली में एक अलग कंपनी में निदेशक था और वह आरोपी कंपनी के किसी भी फैसले में कभी शामिल नहीं हुए। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि शिकायत के अनुसार भी एमएस चंद्रशेखर (आरोपी नंबर 1) आरोपी कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति था।इसलिए, उक्त शिकायत के साथ आगे बढ़ाने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सामग्री नहीं है और उक्त शिकायत में उनका सम्मन पूरी तरह से अनुचित और अवैध था। दूसरे, पूरे अभियोजन और कार्यवाही की गलत कल्पना की गई क्योंकि शिकायतकर्ता ने किसी भी अपराध का खुलासा नहीं किया। तीसरा यह कि विश्लेषक की रिपोर्ट की सूचना आरोपी व्यक्ति को दी जानी थी, जिसके पास सबूत पेश करने का अधिकार है, लेकिन मौजूदा मामले में वरिष्ठ विश्लेषक की रिपोर्ट की सूचना याचिकाकर्ता को नहीं दी गई, जिसके कारण इससे उनके

प्रति बहुत बड़ा पूर्वाग्रह हुआ, जिससे उन्होंने नमूने की दोबारा जांच का अपना बहुमूल्य अधिकार खो दिया।

4. याचिकाकर्ता द्वारा दायर उक्त आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने 30 अक्टूबर, 2001 के आदेश (अनुलग्नक पी-2) के तहत खारिज कर दिया था, जबकि यह देखते हुए कि जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए दूसरे और तीसरे आधार का संबंध है, याचिकाकर्ता को तलब करने के चरण में इस पर विचार नहीं किया जा सका। हालाँकि, पहले आधार के संबंध में, ट्रायल कोर्ट ने निम्नानुसार कहा: -

   "...अधिनियम की धारा 33 के तहत, जहां किसी कंपनी द्वारा अपराध किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था या उसके प्रति जिम्मेदार था, साथ ही कंपनी को भी अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा। अधिनियम की धारा 33 के प्रावधान के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति यह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम किए थे, तो उस स्थिति में वह किसी भी सजा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हालाँकि, धारा 33 की उप-धारा (2) के अनुसार, जहां यह साबित हो जाता है कि अपराध किसी निदेशक आदि की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण किया गया है, तो उसे भी अपराध माना जाएगा। उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा। वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता ने शिकायत में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि आरोपी कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था और इस तरह, वह इस अपराध के लिए भी पात्र है।"

5. उक्त आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण को भी सत्र न्यायाधीश, सिरसा ने अपने आदेश दिनांक 3 अप्रैल, 2002 (अनुलग्नक पी-1) के तहत खारिज कर दिया था, यह देखते हुए कि :-

   "उपरोक्त निर्णयों में टिप्पणियों का सार यह है कि किसी कंपनी द्वारा अधिनियम के तहत किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए किसी व्यक्ति की परोक्ष देनदारी तब उत्पन्न होती है जब भौतिक समय पर वह कंपनी का प्रभारी था और इसके लिए कंपनी के लिए जिम्मेदार भी था। बस, क्योंकि एक व्यक्ति कंपनी का निदेशक है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उपरोक्त दोनों आवश्यकताओं को पूरा करता है ताकि उसे उत्तरदायी बनाया जा सके। इसके विपरीत, निदेशक हुए बिना भी कोई व्यक्ति कंपनी का प्रभारी हो सकता है और अपने व्यवसाय के संचालन के लिए

कंपनी के प्रति उत्तरदायी। संभवतः, उपरोक्त टिप्पणियों के बारे में कोई भी विवाद नहीं कर सकता है, लेकिन मेरे विचार से, यह वर्तमान याचिकाकर्ता के बचाव में नहीं आएगा, इस अपरिपक्व चरण में क्योंकि यह नहीं है विवादित है कि याचिकाकर्ता अभय योगराज विनिर्माण कंपनी के निदेशक हैं। शिकायत में विशेष रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने अन्य आरोपियों के साथ अधिनियम की धारा 17 (1) (ए) और (सी) का भी उल्लंघन किया है और वे इसके लिए विनिर्माण फर्म के व्यवसाय का संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं...

इस प्रकार यह देखा जाएगा कि इन प्रावधानों के सह-संयुक्त पढ़ने से पता चलेगा कि याचिकाकर्ता बाद के चरण में यह साबित कर सकता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के आयुक्त को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम किए थे और ये प्रश्न इस संबंध में पक्षों द्वारा साक्ष्य दिए जाने के बाद विद्वान ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा मामले की जांच की जाएगी। लेकिन, किसी भी मामले में, मेरे लिए, याचिकाकर्ता को संभवतः यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि प्रारंभिक चरण में उसकी जानकारी के बिना, कंपनी द्वारा अपराध किया गया था। इसका निपटारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिल हाडा बनाम इंडियन ऐक्रेलिक लिमिटेड, 2000 (1) आरसीआर (क्रि.) में किया गया है1 में यह तय किया गया है कि कंपनी के निदेशक और प्रत्येक अन्य व्यक्ति, जो कंपनी के प्रभारी थे और जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कंपनी के व्यवसाय के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष किशनचंद असानंद (गुरशान) बनाम पंजाब राज्य, 2002 (1) आरसीआर 698 नामक मामले में और आपराधिक विविध में दिए गए 18 दिसंबर, 2001 के फैसले में एक प्रासंगिक प्रश्न उठा। 2001 के नंबर 48120-एम, देवकीनंदन खटोरे और अन्य बनाम हरियाणा राज्य के मामले में, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या करने के बाद, यह आधिकारिक तौर पर माना गया है कि धारा 33 (2) के प्रावधान धारा के प्रावधानों के साथ अधिनियम की धारा 33(1) है और यदि शिकायत में विशेष आरोप लगाए गए हैं कि आरोपी ,कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था, तो ऐसी परिस्थितियों में, इस प्रारंभिक चरण में आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता है। ये निर्णय मौजूदा समस्या का संपूर्ण उत्तर हैं।"

6. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने उपरोक्त दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की है।

7. जारी नोटिस के अनुसार, प्रतिवादी राज्य ने इस याचिका का जवाब दाखिल किया है।
8. मैंने पक्षों के विद्वान वकील की दलीलें सुनी हैं और आक्षेपित आदेशों के साथ-साथ शिकायत की सामग्री (अनुलग्नक पी-3) का अध्ययन किया है।
9. श्री आर.एस. चीमा विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस याचिका के केवल पहले आधार पर जोर दिया है कि याचिकाकर्ता, आरोपी कंपनी का सिर्फ एक निदेशक होने के नाते, इसके व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं था, इसलिए, वह अपने खिलाफ कार्यवाही करने और आरोपी कंपनी द्वारा किए गए कथित अपराध के लिए दंडित होने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि मौजूदा मामले में, आरोप है कि अपराध आरोपी कंपनी द्वारा किया गया है। अधिनियम की धारा 33(1) में प्रावधान है कि जब भी इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय कंपनी का प्रभारी था, या उसके आचरण के लिए जिम्मेदार था। कंपनी के व्यवसाय के साथ-साथ कंपनी को भी अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उपरोक्त धारा का परंतुक आगे कुछ भी प्रदान नहीं करता हैउन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उपरोक्त धारा का परंतुक आगे कुछ भी ऐसा प्रदान नहीं करता है की इस उपधारा में निहित ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा यदि वह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम किए थे। अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (2) आगे यह प्रावधान करती है कि उप-धारा (1) में किसी भी बात के बावजूद, जहां, इस अधिनियम के तहत एक कंपनी द्वारा अपराध किया गया है और यह साबित हो गया है कि किया गया अपराध किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से, या उनकी ओर से किसी भी उपेक्षा के लिए जिम्मेदार होने पर भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को ऐसा व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, जो कथित अपराध के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी या जिम्मेदार था और न ही वह ऐसा कर सकता है। इस आधार पर कथित अपराध का दोषी माना जाएगा कि अपराध उसकी सहमति या मिलीभगत से किया गया था या कंपनी के निदेशक के रूप में उसकी ओर से की गई उपेक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। किसी शिकायत पर किसी आरोपी को तलब करते समय शिकायत के कथनों और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर इस तथ्य का पता लगाना होता है। शिकायत की सामग्री का उल्लेख

करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया कि शिकायत के शीर्षक में, याचिकाकर्ता को आरोपी कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार के रूप में नामित नहीं किया गया है। उक्त शीर्षक में अभियुक्त क्रमांक 1 एम.एस. चन्द्रशेखर को व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बताया गया है। याचिकाकर्ता को केवल आरोपी कंपनी का निदेशक होने के कारण आरोपी के रूप में पेश किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि शिकायत के पैराग्राफ 5 में, कंपनी को मुख्य आरोपी के रूप में वर्णित किया गया है और याचिकाकर्ता को 15 नवंबर, 2000 अवगत करा कृषि निदेशक, हरियाणा। पंचकुला के एक पत्र के आधार पर व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। इस संबंध में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने दिनांक 5 जुलाई, 2000 के पत्र का उल्लेख किया। परिशिष्ट पी-4, शिकायत के साथ संलग्न है, जो निदेशक कृषि, हरियाणा, पंचकुला द्वारा आरोपी कंपनी को लिखा गया था। उक्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि कंपनी द्वारा निर्मित कीटनाशकों के उपयोग एवं गुणवत्ता की दृष्टि से श्री एम.एस. इसके बिजनेस मैनेजर चन्द्रशेखर जिम्मेदार व्यक्ति होंगे उन्होंने जिक्र किया,शिकायत के साथ संलग्न परिशिष्ट पी-6 का जिसके माध्यम से शिकायतकर्ता ने कृषि निदेशक, हरियाणा, चंडीगढ़ से आरोपी कंपनी के खिलाफ अभियोजन शुरू करने का अनुरोध किया। इस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि श्री एम.एस. कीटनाशकों के निर्माण और गुणवत्ता से संबंधित कंपनी के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार व्यक्ति चन्द्रशेखर थे। हालाँकि, 12 जनवरी, 2001 को सहमति आदेश जारी करते हुए कृषि निदेशक, हरियाणा ने आरोपी कंपनी श्री एम.एस. के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दे दी। चन्द्रशेखर के साथ-साथ याचिकाकर्ता के भी खिलाफ. विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि ऐसी कोई सामग्री और आधार नहीं था जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन शुरू करने की मंजूरी दी जा सकती थी। प्रतिवादी-राज्य द्वारा दायर जवाब किसी भी कारण या सामग्री का खुलासा नहीं करता है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ उपरोक्त मंजूरी दी गई थी, खासकर जब याचिकाकर्ता के खिलाफ कीटनाशक निरीक्षक द्वारा ऐसी मंजूरी भी नहीं मांगी गई थी। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि केवल शिकायत में उल्लिखित एक शब्द के आधार पर कि याचिकाकर्ता जिम्मेदार व्यक्ति था और उसके खिलाफ अभियोजन शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी गई थी, याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती और न ही उसे दंडित किया जा सकता है। कथित अपराध आरोपी कंपनी द्वारा किया गया है। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रक्रिया जारी नहीं की जानी चाहिए थी और उक्त प्रक्रिया को दोबारा बुलाने और कार्यमुक्त करने के उसके आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने **मेसर्स पेप्सी फूड्स**

लिमिटेड और अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य[1] मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का जिक्र करते हुए कहा। प्रस्तुत किया गया कि किसी शिकायत में किसी व्यक्ति को आरोपी के रूप में बुलाना एक गंभीर मामला है और आरोपी को बुलाते समय, न्यायालय को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आरोपी प्रथम दृष्टया वास्तव में अपराध के लिए उत्तरदायी था। आकस्मिक रूप से, किसी व्यक्ति को मुकदमे का सामना करने के लिए आरोपी के रूप में नहीं बुलाया जा सकता है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने **दिल्ली नगर निगम बनाम राम किशन रोहतगी और अन्य**[2], **शाम सुंदर और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**[3] के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया। **हरियाणा राज्य बनाम बृज लाल मित्तल एवं अन्य**[4], **बी.बी. नागपाल, पूर्व कंपनी सचिव बनाम हरियाणा राज्य**[5] में इस न्यायालय के निर्णय।, और **मैसर्स आरती मिनरल्स बनाम पंजाब राज्य**[6], और **मैसर्स रैलिस इंडिया लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य**[7] में राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला।

10. दूसरी ओर, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि नीचे के न्यायालयों द्वारा पारित किए गए आदेशों में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी आरोपी को तलब करने के चरण में, शिकायत में दिए गए कथनों को देखा जाना चाहिए और वर्तमान मामले में शिकायत के पैराग्राफ 5 में, यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता, आरोपी नंबर 1 के साथ वह व्यक्ति था आरोपी कंपनी के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार था और उसके खिलाफ भी अभियोजन शुरू करने की मंजूरी दी गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता को बुलाना अवैध नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि निचली दोनों अदालतों ने, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद, याचिकाकर्ता द्वारा समन आदेश को फिर से बुलाने और आरोप मुक्त करने के लिए दायर आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया है। प्रतिवादी-राज्य के लिए विद्वान वकील ने **अनिल हाडा बनाम इंडियन ऐक्रेलिक लिमिटेड**[8], और **किशनचंद असानंद गुरशन बनाम पंजाब राज्य**[9] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पर भरोसा किया।

---

[1] AIR 1998 S.C. 128
[2] AIR 1983 S.C. 67
[3] AIR 1989 S.C. 1982
[4] AIR 1988 S.C, 2327
[5] 1995 (2) Recent Criminal Reports 291
[6] 1997 (4) Recent Criminal Reports 620
[7] 1998 (4) Recent Criminal Reports 344
[8] (2000) 1 S.C.C. 1
[9] 2002 (1) R.C.R. (Criminal) 698

11. यह सच है कि कथित अपराध के समय याचिकाकर्ता आरोपी कंपनी का निदेशक था। उत्तर के अनुसार यह भी स्वीकार किया गया तथ्य है कि वह दिल्ली स्थित एक अलग कंपनी के प्रबंध निदेशक भी थे, लेकिन वह उस समय आरोपी कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी या जिम्मेदार व्यक्ति नहीं थे। कथित अपराध. एमएस। पहला आरोपी चन्द्रशेखर, आरोपी कंपनी के दैनिक कारोबार के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति था। इस तथ्य को प्रतिवादी-राज्य ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है। यह भी स्वीकार किया गया है कि, दिनांक 5 जुलाई, 2000 निदेशक कृषि, हरियाणा के पत्र के माध्यम से,आरोपी कंपनी को हरियाणा राज्य में कीटनाशक और कीटनाशक बेचने की अनुमति दी थी , जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि कीटनाशकोंकंपनी द्वारा निर्मित और इसकी गुणवत्ता के उद्देश्य से श्री एम.एस. चन्द्रशेखर, व्यवसाय प्रबंधक, जिम्मेदार व्यक्ति होंगे। यह दस्तावेज़ परिशिष्ट पी.4 के रूप में शिकायत (अनुलग्नक पी-3) के साथ संलग्न किया गया है। इसके अलावा, यह फिर से स्वीकृत स्थिति है कि कीटनाशक निरीक्षक ने केवल आरोपी कंपनी और उसके व्यवसाय प्रबंधक श्री एम.एस. चन्द्रशेखर के खिलाफ अभियोजन शुरू करने के लिए 13 नवंबर, 2000 कृषि निदेशक, हरियाणा के पत्र के माध्यम से मंजूरी मांगी थी। हालाँकि, इस बारे में कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं है कि किस आधार पर कृषि निदेशक, हरियाणा ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन शुरू करने की अनुमति दी, जबकि वह व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था। इस याचिकाकर्ता में, इस संबंध में विशिष्ट कथन दिए गए हैं, लेकिन प्रतिवादी-राज्य द्वारा कोई उत्तर, स्पष्टीकरण या कारण नहीं दिया गया है। जहां तक शिकायत में बयान देने का सवाल है, शिकायत के शीर्षक में ही केवल आरोपी नंबर 1, अर्थात् एम.एस. चन्द्रशेखर को आरोपी कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बताया गया है. याचिकाकर्ता को केवल कंपनी के निदेशक के रूप में आरोपी बनाया गया है। केवल इसलिए कि वह प्रासंगिक समय पर आरोपी कंपनी का निदेशक था, आरोपी कंपनी द्वारा किए गए कथित अपराध के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, जब तक कि अभियोजन पक्ष का यह मामला न हो कि वह या तो कंपनी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति था व्यवसाय का संचालन या कथित अपराध उसकी जानकारी, सहमति, मिलीभगत से किया गया था या उसकी ओर से किसी लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया गया था। यह शिकायत (अनुलग्नक पी-3) या न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-राज्य का मामला नहीं है। शिकायत में केवल एक अस्पष्ट कथन के आधार पर कि आरोपी नंबर 1 और याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 17(1)(ए) और (सी) का उल्लंघन किया है, क्योंकि वे व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति थे। आरोपी कंपनी, जैसा कि कृषि निदेशक, हरियाणा द्वारा बताया गया है, याचिकाकर्ता को कंपनी द्वारा

किए गए कथित अपराध के लिए बुलाया नहीं जा सकता था। जब याचिकाकर्ता ने बाद में यह आरोप लगाते हुए आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दिया कि वह व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है और कथित अपराध के लिए, बुलाए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है याचिकाकर्ता द्वारा याचिका दायर की गई शिकायत के साथ संलग्न दस्तावेजों के आलोक में विचार करना न्यायालय का कर्तव्य था । शिकायत के साथ विभिन्न दस्तावेज भी संलग्न किये गये थे। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, उन दस्तावेजों से यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि याचिकाकर्ता आरोपी कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था, और केवल आरोपी नंबर 1 ही जिम्मेदार व्यक्ति था। किसी भी संख्या में व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शुरू करने की मंजूरी देना निर्धारित प्राधिकारी यानी कृषि निदेशक, हरियाणा की मधुर इच्छा या विवेक नहीं है। किसी व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन शुरू करना एक गंभीर मामला है और अभियोजन शुरू करने की मंजूरी देते समय, निर्धारित प्राधिकारी को उसके सामने रखी गई सामग्री के आधार पर आगे बढ़ना होता है कि क्या जिस व्यक्ति के खिलाफ मंजूरी दी जानी है, वह जिम्मेदार व्यक्ति है या नहीं। कंपनी द्वारा अपराध किए जाने के समय उसके व्यवसाय के संचालन के लिए या यह कि अपराध उक्त व्यक्ति की सहमति, मिलीभगत और ज्ञान से किया गया था। निर्धारित प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अधिनियम के तहत अभियोजन शुरू करने की मंजूरी नहीं दे सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि उसके खिलाफ अभियोजन शुरू करने के लिए अधिनियम की धारा 33 के मद्देनजर उसके खिलाफ कोई सामग्री नहीं है। मौजूदा मामले में, मेरी राय में, शिकायत (अनुलग्नक पी-3) में दिए गए कथन, कथित अपराध के लिए याचिकाकर्ता को बुलाने के लिए किसी भी प्रथम दृष्टया मामले का खुलासा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। कथित अपराध के लिए किसी शिकायत पर संज्ञान लेने और किसी आरोपी को समन जारी करने से पहले, ट्रायल कोर्ट को शिकायत की सामग्री के साथ-साथ उसके साथ संलग्न दस्तावेजों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इसी तरह की परिस्थिति में, यह न्यायालय **बी.बी. नागपाल, पूर्व. कंपनी सचिव** के मामले (सुप्रा) ने याचिकाकर्ता बी.बी. नागपाल की शिकायत और कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि –

"...कीटनाशक अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (2) लागू होने से पहले, यह साबित करना होगा कि अपराध सहमति या मिलीभगत से किया गया है या किसी ऐसे सचिव की ओर से किसी उपेक्षा के कारण किया गया है। वर्तमान मामले में, शिकायत में ऐसा कोई दावा नहीं है। कोई यह देखने के लिए बाध्य है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुरूक्षेत्र की अदालत के समक्ष, कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था और यह बताया गया था कि याचिकाकर्ता का कंपनी के उत्पादों के उत्पादन,

वितरण और बिक्री के लिए कार्य करना या जिम्मेदार नहीं है। यह प्रार्थना की गई कि याचिकाकर्ता के स्थान पर श्री आर.के. माथुर का नाम रखा जाए। गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक द्वारा 18 नवंबर, 1989 को जवाब दायर किया गया था और यह बताया गया था कि शिकायत दर्ज करने के समय, जिम्मेदार अधिकारी का नाम कंपनी द्वारा सूचित नहीं किया गया था और इसलिए, याचिकाकर्ता का नाम बताया गया था। इसलिए कंपनी के सचिव को आरोपी के रूप में शामिल किया गया था।

ये तथ्य स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि राज्य को जानकारी नहीं है और इसलिए, यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा सहमति या मिलीभगत से किया गया अपराध या कंपनी के सचिव के रूप में याचिकाकर्ता की ओर से की गई उपेक्षा को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है] उन्हें केवल इसलिए आरोपी बनाया गया है क्योंकि वह कंपनी के सचिव थे। कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 33 की उप-धारा 1 और 2 के प्रावधानों से याचिकाकर्ता को जोड़ने वाली किसी भी सामग्री के अभाव में, यह स्पष्ट है कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।''

12. इसी प्रकार**, मुरली मनोहर बनाम पंजाब राज्य में**[10], (10) अधिनियम के तहत शिकायत को रद्द करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नानुसार माना है -

"अनुलग्नक पी-1 24 अक्टूबर 1994 को गुरिंदर सिंह, कीटनाशक निरीक्षक द्वारा दायर की गई शिकायत की प्रति है, जिसमें मधु सूदन इंडस्ट्रीज को उसके जिम्मेदार व्यक्तियों, अर्थात् वी. कृष्ण मूर्ति, मुरली मनोहर, रमेश के माध्यम से आरोपी नंबर 3 के रूप में शामिल किया गया था। पेशियन और जे.के. गुप्ता। उक्त शिकायत के पैरा 10 में, यह आरोप लगाया गया था कि प्रश्न में कीटनाशक (जो गलत ब्रांड पाया गया था) मधु सूदन इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित और आपूर्ति किया गया ,जो कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार थेवी. कृष्ण मूर्ति, मुरली मनोहर, रमेश पेशियोन और जे.के.गुप्ता की मिलीभगत , सहमति, जानकारी के साथ किया गया ।शिकायत में आरोप नहीं लगाया गया है कि वे उक्त कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार थे। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वे उक्त कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार थे। घरदा केमिकल्स लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य, 1997 (2) हालिया आपराधिक रिपोर्ट 99 में, इस न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि अधिनियम

[10] 2001 (4) R.C.R. (Criminal) 536

की धारा 33 की उप-धारा (1) को पढ़ने से यह स्पष्ट था कि केवल जिम्मेदार होना व्यक्ति पर्याप्त नहीं था. उसे कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। रिपोर्ट किए गए मामले में, कहीं भी यह दावा नहीं किया गया कि आरोपी कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार था। इन परिस्थितियों में, यह माना गया कि किसी भी विशिष्ट आरोप के अभाव में, यह आश्चर्यजनक था कि उन व्यक्तियों को आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और जब तक कि विशिष्ट दावे नहीं किए गए, उन्हें मुकदमे की पीड़ा से गुजरने के लिए नहीं कहा जा सकता था। बी.बी. नागपाल, पूर्व कंपनी सचिव बनाम हरियाणा राज्य, 1995 (2) आरसीआर 291 मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर भरोसा किया गया था। लाल चंद पाटनी बनाम हरियाणा राज्य के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में इस न्यायालय का इसी तरह का दृष्टिकोण लिया गया था। 1998 (4) आरसीआर 547, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत एक मामले से संबंधित, इसी तरह, हरियाणा राज्य बनाम बृज लाल मित्तल, 1998 (2) आरसीआर 609 में, सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य में,ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत एक मामला निपटते समय यह कहा था की जहां तक निदेशकों का सवाल है, शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए अनुमान के अलावा न तो कोई फुसफुसाहट थी, न ही कोई सबूत और न ही दिखाने के लिए कुछ भी था , याचिकाकर्ता के उचित निष्कर्ष निकालने के अलावा की निदेशकों द्वारा किए गए कार्य से एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे परोक्ष रूप से उत्तरदायी भी हो सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कानून अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 पर भरोसा जो दिल्ली नगर पालिका बनाम राम किशन, 1983 (1) एससीसी 1 के रूप में रिपोर्ट किया गया। इसी तरह यू.एस. माडा बनाम पंजाब राज्य, 2000 (1) आरसीआर 37 में, इस न्यायालय द्वारा यह माना गया कि ऐसा दिखाया जाए कि जिस समय अपराध किया गया था, संबंधित व्यक्ति कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी और जिम्मेदार था।"

13. हालाँकि, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होते हैं। मौजूदा मामले में, निचली दोनों अदालतों ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर आरोपमुक्ति के आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि इस स्तर पर याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करना जल्दबाजी होगी कि क्या वह जिम्मेदार व्यक्ति था, खासकर जब याचिकाकर्ता द्वारा प्रमुख साक्ष्य अभी आना बाकी है। मेरी राय में, यदि कोई समन किया गया आरोपी यह कहते हुए आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दायर करता है कि शिकायत में दिए गए कथनों के

साथ-साथ उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उसके द्वारा कोई अपराध किया गया है, तो उस स्तर पर न्यायालय ऐसा कर सकता है। समन आदेश को दोबारा बुलाएं और आरोपी को आरोपमुक्त करें। मौजूदा मामले में, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, याचिकाकर्ता को आरोपी कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति नहीं कहा जा सकता था और याचिकाकर्ता को उप-धारा (1) के प्रावधानों से जोड़ने वाली किसी भी सामग्री के अभाव में नहीं कहा जा सकता था। और (2) अधिनियम की धारा 33 के अनुसार, मुकदमे का सामना करने के लिए उसे बुलाना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

14. उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत तत्काल याचिका स्वीकार की जाती है; सत्र न्यायाधीश, सिरसा द्वारा पारित दिनांक 3 अप्रैल, 2002 (अनुलग्नक पी-1) और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरसा द्वारा पारित दिनांक 30 अक्टूबर, 2001 (अनुलग्नक पी-2) को, याचिकाकर्ता के आधार पर निरस्त किया जाता है और कार्यवाही 2001 के शिकायत मामले संख्या 32-2 (अनुलग्नक पी-3) में याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी प्रक्रिया और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरसा की अदालत में लंबित परिणामी कार्यवाही को रद्द किया जाता है। हालाँकि, उक्त शिकायत और कार्यवाही अन्य आरोपियों के लिए जारी रहेगी।

R.N.R

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हिमांशु जांगड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी